


प्रस्तुत नक्शे एवं वर्तमान जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।
वर्तमान नक्शे के आधार पर प्रार्थी के खेत की सीमा विप्रार्थीगण के
खेत की सीमा से लगती है।

अतः वर्तमान सर्वेक्षण नक्शे के आधार पर प्रार्थी की पक्की
नेखमबंदी की मांग स्वीकार करने योग्य है।

— आदेश —

अतः प्रार्थी ईशराराम पुत्र चेतनराम, जाति— जाट, नि०
गोरसियो का तला काश्मीर, तह० शिव का प्रार्थना पत्र स्वीकार
किया जाकर ग्राम गोरसियो का तला, पटवार मण्डल— काश्मीर,
भु— अभिलेख निरीक्षक — कानासर तह० शिव, के खसरा नम्बर
1255/1073 रकबा 18.15 व विप्रार्थीगण संख्या 04 से 06 के
खातेदारी खेत के खसरा नम्बर 1073/939 रकबा 37.10 बीघा
भूमि के चारों तरफ पक्के नेखमबंदी हेतु तहसीलदार शिव को
कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क 1000/- रुपये
प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। नेखमंदी दोनो पक्षों
की मौजूदगी में की जावे यदि मौके पर विवाद हो, तो संबंधित
पुलिस थाना ईमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
तहरीर जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफतर
हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2019 को सरे इजलास सुनाया
गया।


उपखण्ड अधिकारी
शिव

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुकम व में जारी
17-6-19	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 03 के रजिस्टर्ड नोटिस तामिल के बावजूद अनुपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या 04 से 06 की और से वकील श्री नरेन्द्रसिंह सियाग ने उपस्थित होकर जवाब आवेदन मय कारुन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो सामिल मिसल हो।</p> <p>उभय पक्षों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 04 से 06 विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार हैं तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी-अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं।</p> <p>प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी के खेत ग्राम गोरसियो का तला, पटवार हल्का काश्मीर, भु- अभिलेख निरीक्षक- कानासर, तह० शिव के खसरा नम्बर 1255/1073, 1073/939 रकबा 18:15, 37.10 बीघा भूमि आई हुई है।</p> <p>प्रार्थी की उपरोक्त भूमि के सेढा - सेढ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है, प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के खेतों के बीच में किसी प्रकार की कोई पक्की माठें तथा सीमा लेते समय खेतों के सेढों के संबंध में तनाव एवं विवाद बना रहता है तथा विप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि का जबरन सेढा तोडकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि पर जबरन काश्त कर लेते हैं। तथा प्रार्थी को उसकी भूमि के उपयोग एवं उपभोग में हर समय बाधा उत्पन्न करते रहते हैं।</p> <p>प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण सं. 1 से 08 को जरिये नोटिस डाक रजिस्टर एडी से भेजे हुये को 30 दिन से अधिक समय व्यतीत हो चुका है।</p> <p>अतः सी.पी.सी. Order 5 Rule 9(5) के तहत 30 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर मान लिया जाता है कि विप्रार्थीगण 1 से 08 के सम्मन तामिल हो गए हैं। सम्मन तामिल होने के बावजूद विप्रार्थीगण अनुपस्थित। अतः विप्रार्थीगण के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी वकील की एक तरफा बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शिव जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रतापसिंह (आई.ए.एस)

राजस्व आवेदन संख्या :- 127/2019

क्रमांक/आवेदन/19/ 2932

दिनांक- 26-6-2019


प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
ईशराराम पुत्र चेतनराम, जाति- जाट, नि० गोरसियो का तला, काश्मीर तह० शिव		किरताराम पुत्र चेतनराम वगैरा (08)
धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम		

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नेखमबंदी आवेदन एवं विप्रार्थी संख्या 04 से 06 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। भू अभिलेख निरीक्षक कानासर को तह० शिव, पटवार मण्डल काश्मीर के ग्राम गोरसियो का तला के खेत खसरा नम्बर 1255/1073 रकबा 18.15 बीघा, खसरा नम्बर 1073/939 रकबा 37.10 बीघा भूमि के चारो तरफ स्थाई पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार शिव को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। प्रार्थी कमीशनर शुल्क 1000/- मौके पर अदा करेंगे। कमीशनर प्रार्थी के खसरो की नेखमबंदी विप्रार्थीगण की उपस्थित में करे।

उपरोक्त नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावें ताकि नेखमबंदी की पुष्टि की कार्यवाही की जा सके। आवश्यक होने पर संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।





उपखण्ड अधिकारी
शिव

क्रमांक/आवेदन/19/2933 - 2938
द
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

दिनांक-26-6-2019

1. तहसीलदार शिव को पालनार्थ।
2. भू-अभिलेख निरीक्षक कानासर को पालनार्थ।
3. हल्का पटवारी काश्मीर को भेजकर लेख है कि भू-अभिलेख निरीक्षक कानासर द्वारा निर्धारित तिथि को मय रिकार्ड मौके पर उपस्थित होकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना शिव को पालनार्थ।
5. प्रार्थी ईशराराम पुत्र चेतनराम को सूचनार्थ।
6. विप्रार्थीगण किरताराम पुत्र चेतनराम वगैरा (08) को सूचनार्थ।


उपखण्ड अधिकारी
शिव

Scanned by CamScanner

